This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**मंगलवार 27 सितम्बर, 2016 / 5 आश्विन, 1938**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग**

अधिसूचना

शिमला–02, 26 सितम्बर, 2016

**संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)4 / 2014.**––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह–आचार्य (इंजीनियरिंग),

वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह–आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
**संजय गुप्ता,**
प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)

———————

**उपाबन्ध–"क"**

**हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह–आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम**

1. **पद का नाम.–**सह–आचार्य (इंजीनियरिंग)

2. **पद (पदों) की संख्या.–**08 (आठ)
सिविल इंजीनियरिंग 02 (दो)
इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली कोमुनिकेशन इंजीनियरिंग 03 (तीन)
मकैनिकल इंजीनियरिंग 03 (तीन)।

3. **वर्गीकरण.–**वर्ग–I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय।

4. **वेतनमान.–**पे बैण्ड ₹ 37400–67400 जमा 9,000 / – ग्रेड पे।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद**.–चयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु**.–18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर / निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी

जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा :

"परन्तु पूर्ववर्ती पैरों में निर्दिष्ट उपबंध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगें।

**7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–(क) अनिवार्य अर्हता.**––बी ई/बी टेक में या एम ई/एम टैक में प्रथम श्रेणी सहित सुसंगत शाखा में बी ई/बी टैक और एमई/एम टैक या इसके समतुल्य तथा समुचित विद्या शाखा में पी एच डी या इसके समतुल्य।

यदि श्रेणी/डिवीजन प्रदान नही की गई है तो कुल मिलाकर अंकों के प्रथम न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समतुल्य समझा जाएगा। यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड प्वाइंट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड पांइन्ट औसत (सी.जीपी.) को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगाः

| ग्रेड प्वांइट | समतुल्य प्रतिशत |
|---|---|
| 6.25 | 55% |
| 6.75 | 60% |
| 7.25 | 65% |
| 7.75 | 70% |
| 8.25 | 75% |

**(II) अनुभव.**––अध्यापन/अनुसंधान/औद्यौगिक में कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दो वर्ष का पी एच डी के पश्चात का अनुभव वांछनीय है।

**(ख) वांछनीय अर्हताः**––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

**8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक (अर्हता) अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.**––**आयु.**–लागू नहीं।

**शैक्षिक अर्हता.**–हां।

**9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

**10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.**––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर ।

**11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.**––उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(।) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षित अर्हता धारण करने के अध्यधीन इंजिनियरिंग की समुचित शाखा के सह–आचार्यों (इंजिनियरिंग), में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण I.**–उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में अवधि ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

**स्पष्टीकरण II.**–उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:

1. जिला लाहौल स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाठ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ –भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेडद और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

**स्पष्टीकरणः**–अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज़ परसोनल (रिज़र्वेान ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिज़र्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

**12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान् हो तो उसकी संरचना.**––जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

**13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**– जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

**14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.**––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

**15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या

अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आादि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

**16. आरक्षण.**––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / पिछडे वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा.**––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

**18. शिथिल करने की शक्ति.**––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

————————

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A(3) 4/2014 dated 26-09-2016 as required under Article 348 (3) of the constitution of India].*

## TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 26th September, 2016*

**No. EDN (TE) A (3) 4/2014.—**In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of theConstitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (Engineering), Class-I, (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

**1. Short title and commencement.—(**1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Associate Professor (Engineering), Class–I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

By order,
**SANJAY GUPTA,**
*Principal Secretary (T.E.).*

**Annexure-"A"**

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR (ENGINEERING) (CLASS-I, GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of post**.—Associate Professor (Engineering)

2. **Number of post(s).—**08 (Eight).

| | |
|---|---|
| Civil Engineering | = 02 (Two) |
| Electronics & communication Engg. | = 03 (Three) |
| Mechanical Engg. | = 03 (Three) |

3. **Classification.—** Class-1 (Gazetted Non-Ministerial).

4. **Scale of Pay.—**Pay Band ₹ 37400-67400+9000/-Grade Pay.

5. **Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—**Selection.

6. **Age for direct recruitment.—**Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector/Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

Provided that the the provisions referred to in proceding paras shll not be applicable in the case of contract appointee."

**7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—** *(a) Essential Qualification(s).*—(i) BE/B Tech. and ME/M Tech. in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech. or ME/MTech. and Ph.D or equivalent in the appropriate discipline.

If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:—

| Grade Point | Equivalent Percentage : |
|---|---|
| 6.25 | 55% |
| 6.75 | 60% |
| 7.25 | 65% |
| 7.75 | 70% |
| 8.25 | 75% |

**(ii) EXPERIENCE.—**Minimum of 5 years experience in teaching/research/industry of which at least 2 years post Ph. D experience is desirable.

**Desirable Qualification(s).—**Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—***Age.*—Not applicable.

*Education Qualification.*—Yes.

**9. Period of probation, if any.—**Two years Subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

**10. Method(s)of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s), to be filled in by various methods.—**100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis.

**11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—**By promotion from amongst the Assistant Professors (Engineering) of appropriate branch of engineering subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Col. No. 07 (i) above with 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by direct recruitment on regular basis.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas, subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials, who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre on desirability and necessity, if any, on the department any time.

**Explanation-I.—**For the purpose of proviso A(I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

**Explanation-II.—**For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti,

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Disvision.

4. Pandrah bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchaayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division o f Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, In Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini,MathyaniGhanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh,Graman, Devgarh, Trailla, Ropa Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion , the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of qualifying service as prescribed in these Rules for promotion subject the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

**Explanation.—**The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation o f vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rule, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rule, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of above shall remain unchanged.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—**As may be constituted by the Government from time to time.

**13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—**As required under the Law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.—**A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

**15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—**Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be.

**16. Reservation.—**The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.—**Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

**18. Powers to relax.—** Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of persons or posts.

## TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 26th September, 2016*

**No. EDN (TE) B (1)-7/2015.—**The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create and allow to fill-up following 09 posts of various categories in the Directorate of Technical Education Vocational & Industrial Department, Sundernagar Distt. Mandi, H.P. in the public interest, with immediate effect.

| Sr. No. | Name of Posts | No. of Posts | Method of Recruitment |
|---|---|---|---|
| 1. | Deputy Director (TE) | 02 | As per R&P |
| 2. | Superintendent Grade-I` | 02 | As per R&P |
| 3. | Junior Office Assistant (IT) | 05 | As per R&P |
| | **Total..** | **09** | |

By order,
Sd/-
*Principal Secretary (TE)*.

---

## विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 सितम्बर, 2016

**संख्याः एल0एल0आर0–डी(6)–17 / 2016–लेज.**–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19–09–2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
**(डा0 बलदेव सिंह),**
प्रधान सचिव (विधि)।

---

2016 का अधिनियम संख्यांक 12

## हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 19 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **धारा 10 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (4) में, ''नगरपालिका प्रशासन'' शब्दों के पश्चात् ''का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, यथास्थिति, नगर पंचायतों में तीन से अनधिक और नगरपालिका परिषद् में चार से अनधिक, को सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. **धारा 82 का संशोधन.**– मूल अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक पाँच सौ रूपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 83 का संशोधन.**– मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग होता रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और अविरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

5. **धारा 111 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (4) में ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

6. **धारा 113 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 113 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित धारा 113 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

''परन्तु कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियन्त्रित करने के लिए सम्बद्ध नगरपालिका, शहरी या नगरपालिका के साथ लगते क्षेत्र में अवस्थित पशुपालन विभाग की सहायता से स्वामी के खर्चे पर, ऐसी दर पर, जैसी समय–समय पर नगरपालिका द्वारा अधिसूचित की जाए, पालतू/आवारा कुत्तों का बन्ध्याकरण/टीकाकरण करने के लिए, पग उठा सकेगी और आवारा और अनभिज्ञात कुत्तों की दशा में ऐसा खर्चा नगरपालिका निधि में से वहन किया जाएगा।''।

7. **धारा 114 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 114 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

8. **धारा 115 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 115 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

9. **धारा 124 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और

अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**10. धारा 125 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, दस रुपये'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**11. धारा 126 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) में, ''एक सौ रुपये और अधिक से अधिक एक हजार रुपये होगा और यदि भंग चालू रहने वाला हो तो अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम भंग के पश्चात् भंग चालू रहता है, एक सौ रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दस हजार रुपए होगा और यदि भंग जारी रहता है तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**12. धारा 127 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये हो सकती है'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए हो सकती है'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**13. धारा 128 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) में, ''पचास रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**14. धारा 129 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :——

> ''(3) जो कोई इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रकार की सीटी, तुरही या अन्य किसी यन्त्र को प्रयुक्त करता है या उसे उपयोग में लाता है तो वह जुर्माने से जो कम से कम पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा।''।

**15. धारा 133 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और कोई नोटिस जारी किए जाने पर हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, दस रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**16. धारा 135 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 135 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**17. धारा 140 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**18. धारा 143 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 143 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**19. धारा 146 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 146 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**20. धारा 148 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 148 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**21. धारा 149 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 149 में,——

(क) उपधारा (1) में, ''पचास रुपये के और पश्चात्वर्ती प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए के और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में, ''पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**22. धारा 150 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 150 में, ''पचास रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**23. धारा 152 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) में, ''पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**24. धारा 159 का संशोधन.**— मूल अधिनियम की धारा 159 में, ''पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**25. धारा 162 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 162 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**26. धारा 166 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (3) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**27. धारा 172 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**28. धारा 173 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**29. धारा 175 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 175 की उपधारा (3) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा तथा जब उल्लंघन या अननुपालन चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन के पश्चात् उल्लंघन या अननुपालन होता रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ

रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**30. धारा 180 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 180 में, ''पचास रुपये, तथा अधिक से अधिक पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक सौ रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**31. धारा 183 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 183 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये, तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**32. धारा 184 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**33. धारा 191 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 191 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**34. धारा 192 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**35. धारा 193 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 193 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**36. धारा 196 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 196 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**37. धारा 197 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 197 में,——

(क) उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।; और

(ख) उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**38. धारा 198 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 198 में, ''पच्चीस रुपये से अन्यून और दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए से अन्यून और दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**39. धारा 199 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 199 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**40. धारा 200 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 200 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**41. धारा 207 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 207 में, ''एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग

करता रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान उपयोग होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**42. धारा 211 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 211 में,——

(क) उपधारा (1) में तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :——

''परन्तु यह और कि उस व्यक्ति को, जिसे कार्य को बन्द करने या सन्निर्माण को हटाने का नोटिस परिदत्त हो गया है, तो सम्बद्ध अधिकारी / कर्मचारी चल रहे कार्य को रोकने या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए सन्निर्माण को हटाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए आबद्धकर होगा। यदि अधिकारी / कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए दायी होगा :

''परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा कोई नोटिस इस आधार पर जारी किया जाता है कि कोई सन्निर्माण, दी गई किसी स्वीकृति के निबन्धनों के उल्लंघन में अथवा धारा 204 के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उल्लंघन में आरम्भ अथवा परिनिर्मित किया गया है, तो वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है, ऐसे नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय ऐसी अपील के दाखिल करने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा और धारा 212, 263 तथा 269 के उपबन्धों के अध्यधीन नगरपालिका का विनिश्चय अन्तिम होगा :''; और

(ख) उपधारा (5) में, ''एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच हजार रुपए तक का हो सकता है, दायी होगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**43. धारा 221 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 221 की उपधारा (3) के खण्ड (1) में, ''पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**44. धारा 227 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 227 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**45. धारा 237 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 237 में, ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और भंग जारी रहने की दशा में, प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**46. धारा 240 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 240 में, ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपये और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**47. धारा 248 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में, ''पाँच रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पचास रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

**48. धारा 279 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (4) में, ''पचास रुपये से कम और पाँच सौ रुपये से अधिक'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए से कम और पाँच हजार रुपए से अधिक'' शब्द रखे जाएंगे।

**49. धारा 292 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 292 की उपधारा (3) में, ''तीन मास तक की हो सकेगी, या'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् ''पाँच सौ रुपए के'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

---

*AUTHORITIATIVE ENGLISH TEXT*

**Act No. 12 of 2016**

## THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 19TH SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

**1. Short title and commencement.—**(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

**2. Amendment of section 10.—**In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the principal Act'), in sub-section (4), after the words "three persons", the words and signs " in Nagar Panchayat and not more than four persons in Municipal Council, as the case may be," shall be inserted.

**3. Amendment of section 82.—**In section 82 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**4. Amendment of section 83.—**In section 83 of the principal Act, in sub-section (5), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and

more than two thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

**5. Amendment of section 111.—**In section 111 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**6. Amendment of section 113.—**In section 113 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted, and after section 113 as so amemded, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that to keep control on the growing number/population of dogs, Municipality concerned may initiate steps to sterilize/vaccinate the pet/stray dog(s) with the help of Animal Husbandry Department situated in Urban or adjoining area of the Municipality on the expenses of owner, at the rate as may be notified by the Municipality from time to time and in case of stray or un-identified dogs, same shall be born out of the Municipal Fund.".

**7. Amendment of section 114.—**In section 114 of the principal Act, for the word "twenty", the words "two hundred" shall be substituted.

**8. Amendment of section 115.—**In section 115 of the principal Act, for the words "twenty", the words "two hundred" shall be substituted.

**9. Amendment of section 124.—**In section 124 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

**10. Amendment of section 125.—**In section 125 of the principal Act, in sub-section (4), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "one thousand rupees and more than four thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees" shall be substituted.

**11. Amendment of section 126.—**In section 126 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "one hundred rupees and more than one thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of one hundred rupees", the words and sign "two thousand five hundred rupees and more than ten thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted.

**12. Amendment of section 127.—**In section 127 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of fifty rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of one hundred rupees" shall be substituted.

**13. Amendment of section 128.—**In section 128 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted.

**14. Amendment of section 129.—**In section 129 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) Whoever, in contravention of the provisions of this section, uses or employ any whistle, trumpet or other contrivance, shall be punishable with a fine which may not be less than five hundred rupees, and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees for every day during which the offence is continued.".

**15. Amendment of section 133.—**In section 133 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

**16. Amendment of section 135.—**In section 135 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**17. Amendment of section 140.—**In section 140 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**18. Amendment of section 143.—**In section 143 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**19. Amendment of section 146.—**In section 146 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**20. Amendment of section 148.—**In section 148 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**21. Amendment of section 149.—**In section 149 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "fifty and of one hundred rupees", the words "five hundred and of one thousand rupees" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (3), for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

**22. Amendment of section 150.—**In section 150 of the principal Act, for the words "fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

**23. Amendment of section 152.—**In section 152 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

**24. Amendment of section 159.—**In section 159 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**25. Amendment of section 162.—**In section 162 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**26. Amendment of section 166.—**In section 166 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**27. Amendment of section 172.—**In section 172 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**28. Amendment of section 173.—**In section 173 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**29. Amendment of section 175.—**In section 175 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

**30. Amendment of section 180.—**In section 180 of the principal Act, for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one hundred rupees and more than four thousand rupees" shall be substituted.

**31. Amendment of section 183.—**In section 183 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**32. Amendment of section 184.—**In section 184 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**33. Amendment of section 191.—**In section 191 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**34. Amendment of section 192.—**In section 192 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**35. Amendment of section 193.—**In section 193 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**36. Amendment of section 196.—**In section 196 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**37. Amendment of section 197.—**In section 197 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**38. Amendment of section 198.—**In section 198 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**39. Amendment of section 199.—**In section 199 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**40. Amendment of section 200.—**In section 200 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**41. Amendment of section 207.—**In section 207 of the principal Act, for the words and sign "one hundred rupees and more than five hundred rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of fifty rupees", the words and sign "one thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

**42. Amendment of section 211.—**In section 211 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for third proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided further that person to whom notice to stop work or remove the construction stands delivered, the concerned officer/official shall be bound to take necessary steps to stop ongoing work or remove construction raised in contravention of the provisions of the Act forthwith. In case, the officer/official fails to do so, he shall be held personally responsible and shall be liable for disciplinary action under the relevant service rules:

Provided further that if any notice issued by the Executive Officer or Secretary, as the case may be,under this section on the ground that a building has been begun or has been erected in contravention of the terms of any sanction granted or in contravention of any bye-laws made under section 204, the person to whom the notice issued may, within fifteen days from the date of service of such notice, appeal to the municipality which shall be decided within three months from the date of filling of such appeal and subject to the provisions of section 212, 263 and 269, the decision of the municipality shall be final :"; and

(b) in sub-section (5), for the words and signs "one thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to fifty

rupees", the words and signs "five thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" shall be substituted.

**43. Amendment of section 221.**—In section 221 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (i), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

**44. Amendment of section 227.**—In section 227 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**45. Amendment of section 237.**—In section 237 of the principal Act, for the words and sign "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of ten rupees", the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

**46. Amendment of section 240.**—In section 240 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

**47. Amendment of section 248.**—In section 248 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted.

**48. Amendment of section 279.**—In section 279 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

**49. Amendment of section 292.**—In section 292 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "or with fine", the words "of five hundred rupees" shall be inserted.

---

## विधि विभाग

### अधिसूचना

शिमला–2, 26 सितम्बर, 2016

**संख्याः एल0एल0आर0–डी(6)–18 / 2016–लेज.**–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19–09–2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
**(डा0 बलदेव सिंह),**
प्रधान सचिव (विधि)।

**2016 का अधिनियम संख्यांक 13**

## हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 19 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. धारा 4 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा 3–क में, ''तीन'' शब्द के स्थान पर ''पाँच'' शब्द रखा जाएगा ।

**3. धारा 46 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 46 में,–

(क) उपधारा (1) में, ''संयुक्त/सहायक आयुक्त'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु निगम में तैनात सात वर्ष से कम की सेवा वाले अधिकारी को संयुक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया जाएगा और सात वर्ष से अधिक की सेवा वाले अधिकारी को अतिरिक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया जाएगा।''; और

(ख) उपधारा (2) में, ''संयुक्त/सहायक आयुक्त'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

**4. धारा 121 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 121 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि आयुक्त, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बिजली कुनेक्शन को प्रतिष्ठापित करने के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को नामन्जूर कर सकेगा या वापस ले सकेगा और यदि प्रश्नगत परिसर का स्वामी या अधिभोगी करों के लिए निर्धारणीय है और मांग के अनुसार उसकी ओर से निगम को करों का बकाया है तो उसके पेयजल कुनेक्शन और मलवहन कुनेक्शन को काट सकेगा और उसे, ऐसे स्वामी या अधिभोगी के लिखित अनुरोध पर, आयुक्त द्वारा बीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।''।

**5. धारा 157 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(क) आयुक्त, अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निगम से सम्बन्धित चल या अचल सम्पत्तियों का, सिवाय ऐसी चल या अचल सम्पत्तियों के जो लोक उपयोगिता के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों को पट्टे पर या अन्यथा दी जानी है, सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय, पट्टे पर या अन्यथा निपटान कर सकेगा ।''।

**6. धारा 159 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 159 में,—

(क) खण्ड (ग) में, ''पाँच लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ग) के परन्तुक में, ''पाँच लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

**7. धारा 352 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 352 में, ''या जुर्माने से जो पाँच हजार तक का हो सकेगा,'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''या दस हजार रुपए के जुर्माने से'' शब्द रखे जाएंगे।

**8. धारा 384 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 384 में, ''जुर्माने से जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां कि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच हजार रुपए के जुर्माने से और लगातार असफलता या उल्लंघन की दशा में प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पाँच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**9. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.**—मूल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

**''सारणी**

| धारा, उप–धारा, खण्ड या परन्तुक | विषय | जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा | दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 98, उप–धारा (1) और (2) | भूमि या भवन के अन्तरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता। | 8000 | 500 |
| धारा 98, उप–धारा (3) | अन्तरण की लिखत पेश करने में असफलता। | 7000 | 500 |
| धारा 99 | नया भवन बनाने की सूचना देने में असफलता। | 8000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 100 | भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में असफलता। | 8000 | 500 |
| धारा 101 | जानकारी आदि देने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता। | 10000 | 500 |
| धारा 105, उप–धारा (2). | मूल्यांककों को जान–बूझकर विलम्ब कराना या बांधित करना। | 10000 | 500 |
| धारा 116. | अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध। | 10000 | 500 |
| धारा 131 | खाली भूमि या भवन की पुनः अधिभोग की सूचना देने में असफलता। | 6000 | 500 |
| धारा 136, उप–धारा (2) | आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 139 | दायित्व प्रकट करने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 173 | नोटिस देने में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 175 | जल प्रदाय की व्यवस्था किए बिना नए परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध। | 6000 | 500 |
| धारा 180 | प्रवेश, आदि से इन्कार। | 10000 | 500 |
| धारा 183, उप–धारा (1) | जल की पाइपों आदि का ऐसी स्थिति में लगाया जाना जहां उन्हें क्षति पंहुच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है। | 5000 | 500 |
| धारा 183, उप–धारा (2) | शौचालयों, आदि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है। | 5000 | 500 |
| धारा 187 | नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की अन्तर्वस्तु के निर्वाध प्रवाह को क्षति पहुंचाना या उनमें बाधा डालना। | 7000 | 500 |
| धारा 188, उप–धारा (2) | प्राइवेट नाली को नगरपालिका नाली के साथ सूचना के बिना न मिलाना। | 5000 | 500 |
| धारा 189 | जल निस्सारण रहित परिसरों में जल निकास के लिए व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना। | 7000 | 500 |
| धारा 190 | नाली के बिना नए परिसर बनाना। | 10000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 191 | परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 192 | कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना। | 5000 | 500 |
| धारा 193 | किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में आयुक्त के आदेशों का अनुपालन न करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 194 | मलवाही और वर्षा जलवाही नालियों को रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 195 | प्रांगण आदि को पाटने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना। | 5000 | 500 |
| धारा 197 | लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल या नालियों से कनैक्शन। | 10000 | 1000 |
| धारा 200, उप–धारा (4) | किसी पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 206, उप–धारा (1) | अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन। | 2000 | – |
| धारा 206, उप–धारा (2) | नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर असफलता। | 2500 | – |
| धारा 206, उप–धारा (6). | अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना। | 2000 | – |
| धारा 206, उप–धारा (8) | अनुज्ञप्त नलसाज उप–विधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे। | 5000 | – |
| धारा 207 | जल या मलवाही संकर्मों के सम्बन्ध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध। | 10000 | 1000 |
| धारा 215, उप–धारा (3) | पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण। | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 217 | भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 220 | भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 223, उप–धारा (5) | निगम के आदेशों के अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करना या प्राइवेट पथ की व्यवस्था करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 224, उप–धारा (1), खण्ड (क) और (ख)। | पथ के फेर–फार के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 225, उप–धारा (1) | प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 227, उप–धारा (1) | पथों आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध। | एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों | 1000 |
| धारा 227, उप–धारा (2) | पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों | 1000 |
| धारा 228, उप–धारा (3). | ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि की जो धारा 235 (1) के अनुसार बनाए गए हैं, में हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 229 | धरातल मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फेर–फार करने की कि वे बाहर की ओर न खुले, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10,000 | 1000 |
| धारा 230, उप–धारा (1) | ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण आदि जो पथों में बाधा डालते हैं। | 10,000 | 1000 |
| धारा 230, उप–धारा (2) | पथों में वस्तुओं को जमा करना/रख देना आदि। | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 233, उप–धारा (1) और (2) | सार्वजनिक पथों में जीव–जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना। | 10000 | 1000 |
| धारा 234, उप–धारा (4) | रोक या तख्ताबन्दी आदि को विधि विरूद्धतः हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 235, उप–धारा (1) | अनुज्ञा के बिना पथों का खोदना या तोड़ना और उन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 237, उप–धारा (2) | पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना। | 5000 | 500 |
| धारा 238, उप–धारा (1) | खतरनाक स्थान की मुरम्मत करने, बचाव करने या हाताबंदी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 240, उप–धारा (1) | लैम्पों को क्षति करना या हटाना। | 5000 | 500 |
| धारा 240, उप–धारा (2) | सार्वजनिक पथों आदि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना। | 5000 | 500 |
| धारा 242 | आयुक्त की मंजूरी के बिना भवन बनाना। | 10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों | 1000 |
| धारा 243, उप–धारा (1) | भवन बनाने के आशय की सूचना देने में असफलता। | 10,000 | 1000 |
| धारा 244 | भवनों में परिवर्धन आदि करने के आशय की सूचना देने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 247, उप–धारा (4) | सूचना, आदि के बिना संकर्म का प्रारम्भ। | 10000 | 1000 |
| धारा 249 | पथों के कोनो पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10,000 | 1000 |
| धारा 250, उप–धारा (1) | नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का बनाया जाना। | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 250, उप–धारा (2) | पथ की नियमित लाइन से आगे को निकले या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन बनाना या संकर्मों का निष्पादन। | 10,000 | 1000 |
| धारा 252 | ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना प्रयोग। | 10,000 | 1000 |
| धारा 253 | मंजूरी के बिना बनाए गए भवनों को तोड़ने में असफलता या आदेश का उल्लंघन करके भवन बनाना। | 10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों | 1000 |
| धारा 254 | मंजूरी की शर्तों आदि के उल्लंघन में भवन बनाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 256 | परिवर्तन करने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 257, उप–धारा (1) और (2) | पूरा होने के प्रमाण–पत्रों का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग आदि। | 10000 | 1000 |
| धारा 258, उप–धारा (1) | भवनों के प्रयोग पर निबन्धनों का अनुपालन न करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 258, उप–धारा (2) और (3) | भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 259, उप–धारा (1) | खतरनाक दशा, आदि के भवनों को खाली करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 264 | कूड़े के संग्रहण हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 265 | बाजार आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा आदि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 266, उप–धारा (1) | कूड़ा और गन्दगी चौबीस घण्टों से अधिक समय तक रखना आदि। | 5000 | 500 |
| धारा 266, उप–धारा (2) | गन्दगी को पथ पर जाने देना। | 5000 | 500 |
| धारा 266, उप–धारा (3) | कूड़ा या गन्दगी आदि का पथ, आदि में जमा किया जाना। | 5000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 269, उप–धारा (1) | सेवा शौचालय को जल फ्लस / जल शील शौचालय में अपरिवर्तित करना और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निबन्धनों का उल्लंघन करके निर्मित्त किए नहीं जाएंगे। | 5000 | 500 |
| धारा 270, उप–धारा (1) और (2) | नव निर्मित्त या पुननिर्मित्त भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 270, उप–धारा (3) | पृथक वासगृहों वाले आवास भवनों में धरातल मंजिल पर सेवकों के लिए शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 271 | बहुत व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 272 | बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यपेक्षा की अनुपालन में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 273, खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) | शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान, आदि सम्बन्धी उपबन्ध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 274, उप–धारा (2) | अति सघन भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 275. | मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 277, उप–धारा (1), (2), (3) और (4) | मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 278 | अस्वच्छ झोंपड़ियों और शैडों आदि को हटाने की आयुक्त की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 279, उप–धारा (1) | धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध। | 5000 | 500 |
| धारा 280 | खतरनाक रोग की जानकारी देने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 282 | भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 283 | संक्रामित झोंपड़ियों या शैडों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 284 | किसी ऐसे स्थान में जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, बिस्तरों, आदि की धुलाई। | 5000 | 500 |
| धारा 286, उप–धारा (1). | धोबी या लांड्री को संक्रमित कपड़े भेजना। | 5000 | 500 |
| धारा 286, उप–धारा (2). | जिस धोबी या लांड्री को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 287, उप–धारा (1), (2), और (3) | खतरनाक रोग आदि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्रवहणों का उपयोग। | 5000 | 500 |
| धारा 289 | भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 290 | संक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन। | 5000 | 500 |
| धारा 291 | संक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाना या विक्रय करना या कपड़े धोना। | 10000 | 1000 |
| धारा 292 | आयुक्त द्वारा लगाए गए निबन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय। | 10000 | 1000 |
| धारा 293 | आयुक्त के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुंओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग। | 10000 | 1000 |
| धारा 294 | किसी खतरनाक रोग, आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में डालना। | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 295. | इस धारा के उपबन्ध के उल्लंघन में संक्रामित शवों को हटाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 296, उप–धारा (1) | सूचना के बिना झाड़ूकशों आदि की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति। | कारावास जो एक मास तक हो सकेगा या 10,000 रुपये या दोनों | – |
| धारा 297 | शमशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 298 | अनुज्ञा के बिना नए शमशानों या कब्रिस्तानों का प्रयोग। | 5000 | 500 |
| धारा 299, उप–धारा(1) | शमशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 299, उप–धारा(2) | किसी शमशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात् उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 300 | विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले जाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 301, उप–धारा (1), खण्ड (ख) | मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना देने में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 302 उप–धारा(1), (2), (3) और (6) | न्यूसेन्स करना | 5000 | 100 |
| धारा 303 | न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 304, उप–धारा (4) | कुत्तों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घुमने देना। | 5000 | 500 |
| धारा 304, उप–धारा (5) | हिंसक कुत्ते को मुखबन्द, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना। | 5000 | 500 |
| धारा 305 | प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 306 | खुली बत्ती रखना। | 5000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 307 | ऐसी आतीशबाजी, अग्न्यायुध, आदि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है। | 5000 | 500 |
| धारा 308 | भवनों, कुओं आदि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 309 | अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यपेक्षा में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 314; उप–धारा (1) | अनुज्ञा के बिना नगरपालिका बाजारों में विक्रय करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 315, उप–धारा (1) | अनुज्ञप्ति के बिना स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न स्थानों का वधशालाओं के रूप में प्रयोग करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 315, उप–धारा (2) परन्तुक (क) | आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन न करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 317 | अनुज्ञप्ति आदि के बिना बाजार चलाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 318 | अनुज्ञप्त बाजार में विक्रय करना। | 10000 | 1000 |
| धारा 319 | बाजार के निकट कारबार या व्यापार चलाना। | 10000 | 1000 |
| धारा 322 | अनुज्ञप्ति आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना। | 5000 | 500 |
| धारा 323 | अनुज्ञा के बिना कारखाने आदि की स्थापना। | 10000 | 1000 |
| धारा 324 | अनुज्ञप्ति बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाईं जाएंगी। | 10000 | 1000 |
| धारा 325, उप–धारा (3) | जीव–जन्तुओं आदि का रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना। | 5000 | 500 |
| धारा 326, उप–धारा (5) | घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग। | 10000 | 1000 |
| धारा 327 | अनुज्ञप्ति आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना। | 5000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 328 | अनुज्ञप्ति के बिना या उस से प्रतिकूल रूप में भोजनालय, बासा या चाय की दुकान, आदि रखना। | 10000 | 1000 |
| धारा 329 | अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना। | 10000 | 1000 |
| धारा 356, उप–धारा (5) | अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता। | 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों | 1000 |
| धारा 357 | आयुक्त को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश आदि की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से निवारित करना। | 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों | 1000 |
| धारा 358 | आयुक्त को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को साथ लगती किसी भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करना। | 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों | 1000 |
| धारा 363 | संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या छेड़–छाड़ करना। | 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों | 1000 |
| धारा 370, उप–धारा (4) | परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। | 10000 | 1000 |
| धारा 371, उप–धारा (3) | जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश जारी करने से आठ दिन के पश्चात् भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा उसके स्वामी को अधिनियम आदि के उपबन्धों का अनुपालन करने की सुविधाएं देने में असफलता। | 5000 | 500 |
| धारा 409 | महापौर या किसी निगम प्राधिकारी आदि को बाधा पहुंचाना। | 10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये |
| धारा 410 | तल आदि दर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिन्ह हटाना। | 5000 | 500 |
| धारा 411 | निगम आयुक्त आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना आदि। | 5000 | 500 |
| धारा 412 | निगम में निहित किसी भूमि से मिट्टी बालू या अन्य सामग्री विधि विरूद्धतया हटाना या कोई पदार्थ विधि विरूद्धतया जमा करना या कोई अधिक्रमण करना। | 10000 | 1000 ।"। |

---

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Act No. 13 of 2016**

## THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 19TH SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.—**(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

**2 Amendment of section 4.—**In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as "the principal Act"), in sub-section (3-A), for the words "three persons", the words "five persons" shall be substituted.

**3. Amendment of section 46.—**In section 46 of the principal Act,-

(a) in sub-secton (1), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign **"**Additional/Joint Commissioner**"** shall be substituted**,** and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that an officer posted in the Corporation with less than seven years service shall be designated as Joint Commissioner and an officer with more than seven years service shall be designated as Additional Commissioner."; and

(b) in sub-section (2), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign "Additional/Joint Commissioner" shall be substituted.

**4. Amendment of section 121.—**In section 121 of the principal Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely.-

"Provided further that the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard, deny or withdraw the No Objection Certificate issued for installation of electricity connection and disconnect the water connection and sewerage connection, if the owner, or the occupier of the premises in question is assessable to taxes and arrears to the Corporation as per the demand raised and the same may be restored on the written request of such owner or occupier, by the Commissioner by imposition of a penalty not exceeding twenty thousand rupees.".

**5. Amendment of section 157.—**In section 157 of the principal Act, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the Commissioner, with the prior approval of the Standing Committee constituted under sub-section (4) of section 40 of the Act, may dispose of, by sale, lease or otherwise, any movable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise, to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility.".

**6. Amendment of section 159.—**In section 159 of the principal Act,-

(a) in clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees ten lac" shall be substituted; and

(b) in the proviso to clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees ten lac" shall be substituted.

**7. Amendment of section 352.—**In section 352 of the principal Act, for the words "which may extend to five thousand rupees", the words "of ten thousand rupees" shall be substituted.

**8. Amendment of section 384.—**In section 384 of the principal Act, for the words and sign "which may extend to five hundred rupees, and in case of a continuing failure or contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees", the words and sign "of five thousand rupees, and in case of a continuing failure or contravention with an additional fine of five hundred rupees" shall be substituted.

**9. Amendment of SECOND SCHDULE.—**In SECOND SCHEDULE appended to the principal Act, for the existing TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

**"TABLE**

| **Section, sub-section, clause or proviso** | **Subject** | **Fine or imprisonment which may be imposed** | **Daily fine which may be imposed** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Rs. | Rs. |
| Section 98, sub-section (1) and (2) | Failure to give notice of transfer or devolution of land or building. | 8000 | 500 |
| Section 98, sub-section (3) | Failure to produce instrument of transfer | 7000 | 500 |
| Section 99 | Failure to give notice of erection of new building. | 8000 | 500 |
| Section 100 | Failure to give notice of demolition or removal of building. | 8000 | 500 |
| Section 101 | Failure to comply with requisition to furnish information etc. | 10000 | 500 |
| Section 105 sub-section (2) | Wilful delay or obstruction of valuers | 10000 | 500 |
| Section 116 | Prohibition of advertisement without permission | 10000 | 500 |
| Section 131 | Failure to give notice of re-occupation of vacant land or building | 6000 | 500 |
| Section 136, sub-section (2) | Non-compliance with the requisition of attendance before the Commission | 10000 | 1000 |
| Section 139 | Failure of disclose liability | 10000 | 1000 |
| Section 173 | Failure to give notice | 5000 | 500 |
| Section 175 | Prohibition to occupy new premises without arrangement for water supply. | 6000 | 500 |
| Section 180 | Refusal of admittance, etc. | 10000 | 500 |
| Section 183, sub-section (1) | Laying of water pipes, etc. in a position where the same may be injured or water therein polluted. | 5000 | 500 |
| Section 183, sub-section (2) | Construction of latrines, etc., in a position where pipes may be injured or water therein polluted. | 5000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 187 | Injury to, or interference with free flow of contents of municipal drain or drains communicating with municipal drain. | 7000 | 500 |
| Section 188, sub-section (2) | Private drain not to be connected with municipal drain without notice. | 5000 | 500 |
| Section 189 | Non-compliance with requisition for drainage of undrained premises. | 7000 | 500 |
| Section 190 | Erection of new premises without drains | 10000 | 500 |
| Section 191 | Non-compliance with requisition of maintenance of drainage works for any group or block of premises. | 10000 | 1000 |
| Section192 | Non-compliance with direction to close or limit the use of private drains in certain cases. | 5000 | 500 |
| Section 193 | Non-compliance with Commissioners order regarding the use of a drain by a person other than the owner thereof. | 10000 | 1000 |
| Section 194 | Non-compliance with requisition for keeping sewage and rain water drains distinct. | 10000 | 1000 |
| Section 195 | Non-compliance with requisition for the payment of court-yard etc. | 5000 | 500 |
| Section 197 | Connection with municipal water works of drains without written permission. | 10000 | 1000 |
| Section 200, sub-section (4) | Non-compliance with requisition to close, remove or divert a pipe or drain. | 10000 | 1000 |
| Section 206, sub-section (1) | Execution of work by a person other than a licensed plumber | 2000 | - |
| Section 206, sub-section (2) | Failure to furnish when required, name of licensed plumber employed. | 2500 | - |
| Section 206, sub-section (6) | Licensed plumbers not to demand more than the charge prescribed. | 2000 | - |
| Section 206, sub-section (8) | Licensed plumbers not to contravene bye-laws or execute work carelessly or negligently, etc. | 5000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 207 | Prohibition of wilful or neglectful acts relating to water or sewage works. | 10000 | 1000 |
| Section 215, sub-section (3) | Construction of building within the regular line of street without permission. | 10000 | 1000 |
| Section 217 | Failure to comply with requisition to set back building to regular line of street. | 10000 | 1000 |
| Section 220 | Failure to comply with requisition to set forward buildings to regular line of street. | 10000 | 1000 |
| Section 223, sub-section (5) | Utilising, settling or otherwise dealing with any land or laying out a private street otherwise than in conformity with orders of the Corporation. | 10000 | 1000 |
| Section 224, sub-section (1) clauses (a) and (b) | Failure to comply with requisition to show cause for alteration of street or appearance before the Commissioner. | 10000 | 1000 |
| Section 225, sub-section (1) | Failure to comply with requisition on owner of private street or owner of adjoining land or building to level, etc. such street. | 10000 | 1000 |
| Section 227, sub-section (1) | Prohibition of projection upon street, etc. | Imprisonment for one month and Rs. 10,000 or both. | 1000 |
| Section 227, sub-section (2) | Failure to comply with requisition to remove projections from street. | Imprisonment for one month and Rs. 10000 or both. | 1000 |
| Section 228, sub-section (3) | Failure to comply with requisition to remove a verandah, balcony, etc, put up in accordance with section 235 (1). | 10000 | 1000 |
| Section 229 | Failure to comply with requisition to have ground floor doors, etc., so altered as not to open outwards. | 10000 | 1000 |
| Section 230, sub-section (1) | Erection, etc. of structures of fixtures which cause obstruction in streets. | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 230, sub-section (2) | Deposit, etc, of things in streets. | 10000 | 1000 |
| Section 233, sub-section (1) & (2) | Tethering of animals and milking of cattle in Public Streets. | 10000 | 1000 |
| Section 234, sub-section (4) | Unlawful removal of bar or shorting timber etc, or removal or extinction of light. | 10000 | 1000 |
| Section 235, sub-section (1) | Streets not to be opened or broken up and building material not to be deposited thereon without permission. | 10000 | 1000 |
| Section 237, sub-section (2) | Name of street and number of house not to be destroyed or defaced etc. | 5000 | 500 |
| Section 238, sub-section (1) | Failure to comply with requisition to repair, project or enclose a dangerous place. | 10000 | 1000 |
| Section 240, sub-section (1) | Removal or damage of lamps. | 5000 | 500 |
| Section 240, sub-section (2) | Wilfully and negligently extinguishing light in public streets etc. | 5000 | 500 |
| Section 242 | Erection of a building without the sanction of the Commissioner. | 10,000 or imprisonment upto three months or both. | 1000 |
| Section 243, sub-section (1) | Failure to give notice of intention to erect a building. | 10000 | 1000 |
| Section 244 | Failure to give notice of intention to make additions etc, to building. | 10000 | 1000 |
| Section 247, sub-section (4) | Commencement of work without notice etc. | 10000 | 1000 |
| Section 249 | Failure to comply with requisition to round of building at corners of streets. | 10000 | 1000 |
| Section 250, sub-section (1) | Erection of building on new streets without levelling. | 10000 | 1000 |
| Section 250, sub-section (2) | Erection of building on execution of work within regular line of street or in contravention of scheme or plan. | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 252 | Use of inflammable material without permission. | 10000 | 1000 |
| Section 253 | Failure to demolish building erected without sanction or erection of buildings in contravention of order. | 10,000 or imprisonment upto three months or both. | 1000 |
| Section 254 | Erection of buildings in contravention of conditions of sanction etc. | 10000 | 1000 |
| Section 256 | Failure to carry out alterations. | 10000 | 1000 |
| Section 257, sub-section (1) & (2) | Non-compliance with revision as to completion certificates, occupation or use etc. | 10000 | 1000 |
| Section 258, sub-section (1) | Non-compliance with restrictions on user of buildings. | 10000 | 1000 |
| Section 258, sub-section (2) & (3) | Failure to comply with requisition and to remove structures which are in ruins or likely to fall. | 10000 | 1000 |
| Section 258, sub-section (4) | Failure to comply with requisition to vacate buildings in dangerous conditions etc. | 10000 | 1000 |
| Section 264 | Failure to provide for collection, removal and deposit of refuse and provision of receptacles. | 5000 | 500 |
| Section 265 | Failure to comply with requisition for removal of rubbish etc, from premises used as market *etc.* | 5000 | 500 |
| Section 266, sub-section (1) | Keeping rubbish and filth for more than twenty four hours etc. | 5000 | 500 |
| Section 266, sub-section (2) | Allowing filth to flow in streets. | 5000 | 500 |
| Section 266, sub-section (3) | Depositing rubbish or filth etc. in street etc. | 5000 | 500 |
| Section 269, sub-section (1) | Non-Conversion of service latrines into water flush latrines/water seal latrines and urinals not to be constructed without permission or in contravention of terms prescribed. | 5000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 270, sub-section (1) & (2) | Failure to provide buildings newly erected or re-erected with latrine, urinal and other accommodation. | 5000 | 500 |
| Section 270, sub-section (3) | Failure to provide residential buildings composed of separate tenements with latrine, bathing or washing place for servants on the ground floor. | 5000 | 500 |
| Section 271 | People and to keep them clean and in proper condition. | 5000 | 500 |
| Section 272 | Failure to comply with requisition to provide latrines for market cattle shed, cart-stand, etc. and to keep them clean and in proper order. | 5000 | 500 |
| Section 273, clause (a), (b), (c) and (d). | Failure to comply with requisition to enforce provision of latrine or urinal accommodation etc. | 10000 | 1000 |
| Section 274, sub-section (2) | Failure to comply with requisition for removal of congested buildings. | 10000 | 1000 |
| Section 275 | Failure to comply with requisition to improve buildings unfit for human habitation. | 10000 | 1000 |
| Section 277, sub-section (1), (2), (3) and (4) | Failure to comply with order of demolition of buildings unfit for human habitation. | 10000 | 1000 |
| Section 278 | Failure to comply with requisition of the Commissioner to remove insanitary huts and sheds etc. | 10000 | 1000 |
| Section 279, sub-section(1) | Prohibition against washing by washerman | 5000 | 500 |
| Section 280 | Failure to give information of dangerous diseases. | 10000 | 1000 |
| Section 282 | Failure to comply with requisition to cleanse and disinfect buildings or articles. | 10000 | 1000 |
| Section 283 | Failure to comply with requisition to destroy infectious huts or sheds, | 10000 | 1000 |
| Section 284 | Washing of clothing, bedding, etc. at any place not notified by the Commissioner. | 5000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 286, sub-section(1) | Sending effected clothes to washerman or laundry | 5000 | 500 |
| Section 286, sub-section(2) | Failure to furnish address of washerman or laundry to which clothes have been sent. | 5000 | 500 |
| Section 287, sub-section (1), (2) & (3) | Use of public conveyances by persons suffering from a dangerous disease etc. | 5000 | 500 |
| Section 289 | Failure to disinfect buildings before letting the same. | 10000 | 1000 |
| Section 290 | Disposal of infected articles without disinfection. | 5000 | 500 |
| Section 291 | Making or selling of food, etc. or washing of clothes by infected persons. | 10000 | 1000 |
| Section 292 | Sale of food or drink in contravention of restriction or prohibition of the Commissioner. | 10000 | 1000 |
| Section 293 | Removal or use of water from wells and tanks in contravention of prohibition of Commissioner. | 10000 | 1000 |
| Section 294 | Exposure of persons to risk of infection by the presence or conduct of a person suffering from a dangerous disease, etc. | 10000 | 1000 |
| Section 295 | Removal of infectious corpses in contravention of the provision of the section. | 10000 | 1000 |
| Section 296, sub-section (1) | Absence of sweepers, etc., from duty without notice. | Imprisonment which may extend to one month of Rs. 10000 or both. | — |
| Section 297 | Failure to supply information by persons in-charge of burning or burial grounds. | 5000 | 500 |
| Section 298 | Use of new burning or burial ground without permission | 5000 | 500 |
| Section 299, sub-section (1) | Failure to comply with requisition to close burning or burial grounds. | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 299, sub-section (2) | Burning or burial of corpses in burial grounds after it has been closed. | 10000 | 1000 |
| Section 300 | Removal of corpses by other than prescribed routes. | 10000 | 1000 |
| Section 301, sub-section (1) clause (b). | Failure to give notice for removal of corpses of dead animals | 10000 | 1000 |
| Section 302, sub-section (1), (2), (3) and (6) | Commission of nuisances | 5000 | 100 |
| Section 303 | Failure to comply with requisition for removal or abatement of nuisance. | 10000 | 1000 |
| Section 304, sub-section (4) | Dogs not to be at large in a street without being secured by a chain lead. | 5000 | 500 |
| Section 304, sub-section (5) | Ferocious dogs at large without being muzzled, etc. | 5000 | 500 |
| Section 305 | Stacking inflammable material in contravention of prohibition. | 10000 | 1000 |
| Section 306 | Setting a naked light. | 5000 | 500 |
| Section 307 | Discharging fire-works, fire arms, etc., likely to cause danger. | 5000 | 500 |
| Section 308 | Failure to comply with requisition to render buildings, wells etc. safe. | 10000 | 1000 |
| Section 309 | Failure to comply with requisition to enclose land used for improper purposes. | 10000 | 1000 |
| Section 314, sub-section (1) | Sale in municipal markets without permission. | 10000 | 1000 |
| Section 315, sub-section (1) | Use of places as private market without a licence and use of places other than a municipal slaughter house as slaughter house. | 10000 | 1000 |
| Section 315, sub-section (2) Proviso (a) | Non-compliance, with condition, imposed by Commissioner. | 10000 | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 317 | Keeping market open without licence etc. | 10000 | 1000 |
| Section 318 | Sale in unlicensed market. | 10000 | 1000 |
| Section 319 | Carrying on business or trades near a market. | 10000 | 1000 |
| Section 322 | Carrying on butcher's, fish-monger's or poulter's trade without licence, etc. | 5000 | 500 |
| Section 323 | Establishment of factory etc., without permission. | 10000 | 1000 |
| Section 324 | Certain things not to be kept and certain trades and operations not to be carried on without a licence. | 10000 | 1000 |
| Section 325, sub-section (3) | Keeping, abandonment or tethering of animals, etc. | 5000 | 500 |
| Section 326, sub-section (5) | Use of premises in contravention of declaration. | 10000 | 1000 |
| Section 327 | Hawking articles for sale without a licence etc. | 5000 | 500 |
| Section 328 | Keeping a lodging house, eating house, tea shop, etc., without licence or contrary to licence. | 10000 | 1000 |
| Section 329 | Keeping open theatre, circus or other place of public amusement without licence or contrary to terms of licence. | 10000 | 1000 |
| Section 356, sub-section (5) | Failure to produce licence or written permission. | 10000 or imprisonment upto three months or both. | 1000 |
| Section 357 | Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry etc. | 10000 or imprisonment upto three months or both. | 1000 |
| Section 358 | Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry upon any adjoining land. | 10000 or imprisonment upto three months or both. | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. |
| Section 363 | Obstruction or molestation in execution of work. | 10000 or imprisonment upto three months or both. | 1000 |
| Section 370, sub-section(4) | Failure to comply with requisition to state the name and address of owners of premises. | 10000 | 1000 |
| Section 371, sub-section(3) | Failure of occupier of land or building to afford owner facilities for complying with provisions of the Bill etc. After eight days from issue of order by District Judge. | 5000 | 500 |
| Section 409 | Observation of Mayor or any Corporation authority etc. | 10000 or imprisonment upto three months or both. | 1000 |
| Section 410 | Removal of any mark, set up for indicating level etc. | 5000 | 500 |
| Section 411 | Removal etc, of notice exhibited by or under order of the Corporation Commissioner, etc. | 5000 | 500 |
| Section 412 | Unlawful removal of earth, sand or other material or deposit of any matter or making of any encroachment from any land vested in the Corporation. | 10000 | 1000 |

---

## LANGUAGE, ART AND CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla*-II*, the 26th September, 2016*

**No. LCD-F (5)-2/2001-L.—**The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a negotiation committee for Acquisition of Bantony Estate, Up Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh by the Language, Art & Culture Department of the State Government with the objective of setting up of Urban Museum for the use of General Public for promotion of Art & Tourism in the State besides conservation and preservation of Heritage properties of the State for posterity and which will also be helpful in creating a larger awareness among the society. The negotiation committee shall comprise of:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Commissioner, Municipal Corporation, Shimla | *Chairman* |
| 2. | Director, Language, Art & Culture, H.P. | *Member* |
| 3. | Sub Divisional Officer (Civil) Shimla, (Urban) | *Member* |
| 4. | District Language Officer, Shimla | *Member Secretary* |

The negotiation committee shall conclude the negotiation proceedings within a period of thirty days from its commencement.

By order,
**(Anuradha Thakur)**
*Secretary (LAC).*

---

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)**

Shri Mohan Singh s/o Sardar Kewal Singh r/o Singh Villa, Temple Road, Dhalli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

*Versus*

General Public .. *Respondent.*

Whereas Shri Mohan Singh s/o Sardar Kewal Singh r/o Singh Villa, Temple Road, Dhalli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Gurpreet Singh s/o Shri Mohan Singh s/o Sardar Kewal Singh, r/o Singh Villa, Temple Road, Dhalli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Ghaini, Shimla.

| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Gurpreet Singh | Son | 20-06-1993 |

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 23-09-2016 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,*
*Shimla (R), District Shimla.*

**In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Surjeet Singh Arora s/o Late Sardar Amreek Singh, r/o Arora Niwas, near Maan House Shankli, Tehsil & District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

*Versus*

General Public .. *Respondent.*

*Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Whereas Shri Surjeet Singh Arora s/o Late Sardar Amreek Singh, r/o Arora Niwas near Maan House Shankli, Tehsil & District Shimla (H. P.) has preferred an application to the undersigned for registration the name and date of birth of his daughter namely Kirandeep Kaur Arora (DOB 13-01-1990) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H.P.)

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 15-10-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 14th day of September, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,*
*Shimla (Urban).*

---

**PERSONNEL (AP-II) DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla-2,the 23rd September, 2016*

**No.Per(AP-B)B(4)-2/2014.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. R.S. Negi, Member, Himachal Pradesh, Public Service Commission shall retire as such on 07-12-2016 (AN) on attaining the age of 62 years.

By order
**V.C. Pharka**
*Chief Secretary.*

---

**विधि विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, 27 सितम्बर, 2016

**संख्याः एल0एल0आर0–डी(6)–13 / 2016–लेज.**–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22–09–2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक

संख्यांक 13) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
**(डा0 बलदेव सिंह),**
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

2016 का अधिनियम संख्यांक 14

## हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ठक) "निदेशक, कृषि विपणन" से, कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या विधियों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित करे ;";

3. **धारा 25 और 26 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 25 और 26 में "बोर्ड के/का प्रबन्ध निदेशक" शब्द जहाँ–जहाँ आते हैं, के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा।

4. **धारा 40 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 40 में,–

(क) उपधारा (1) में "संविदा खेती प्रायोजक," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति मण्डी क्षेत्र में, व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, तोलने वाले, हमाल, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल, संविदा खेती प्रायोजक, प्रसंस्करण कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या किसी अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में, समिति से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित प्राइवेट मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट मण्डियों, कृषक उपभोक्ता मण्डियों में प्रचालन की वांछा रखता है तो वह सम्बद्ध जिला के कृषि विभाग के उप निदेशक को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यथास्थिति, प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए सक्षम होगा, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।"; और

(ख) उपधारा (1) के अन्तिम परन्तुक में "बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा।

**5. धारा 68 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) जहां ऐसा आदेश उप निदेशक द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, निदेशक, कृषि विपणन को; और

(घ) जहां ऐसा आदेश बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या बोर्ड द्वारा या निदेशक, कृषि विपणन द्वारा पारित किया गया है, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को।"।

**6. धारा 74 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 74 में, "समिति के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड या समिति'' शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन द्वारा या इस निमित्त उन में से किसी भी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

———————

*AUTHORITATIVE ENGLIEH TEXT*

Act No. 14 of 2016

## THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

*to amend the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.—**This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Amendment Act, 2016.

**2. Amendment of section 2.—**In section 2 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (1), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(la) "Director of Agricultural Marketing" means such officer of the Agriculture Department as the State Government may, by notification, designate for the purposes of this Act and the rules or bye-laws made theirunder;".

**3. Amendment of sections 25 and 26.—**In sections 25 and 26 of the principal Act, for the words "Managing Director of the Board" wherever these occur, the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

**4. Amendment of section 40.—**In section 40 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words and sign "contract farming sponsor," shall be omitted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if such person desires to operate in the private market yards, private markets, farmers consumer markets managed by a person other than a Committee in the market area as trader, commission agent, weighman, hamal, surveyor, ware houseman, contract farming sponsor, owner or occupier of the processing factory or any other market functionary, shall apply to the Deputy Director, Agriculture Department, of the district concerned or any other officer authorized by the State Government, by notification, in this behalf, for registration or renewal of registration in such manner and within such period as may be prescribed, who shall be competent to grant or renew, as the case may be, such registration certificate."; and

(b) in sub-section (1), in last proviso, for the words "Managing Director of the Board", the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

**5. Amendment of section 68.—**In section 68 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) the Director of Agricultural Marketing, where such order is passed by the Deputy Director, within thirty days from the date of order; and

(d) the State Government, where such order is passed by the Managing Director of the Board or by the Board or by the Director of Agricultural Marketing, within thirty days from the date of such order.".

**6. Amendment of section 74.—**In section 74 of the principal Act, for the words and sign "Secretary of the Committee or, by any other person duly authorized by the Board or the Committee", the words "Director of Agricultural Marketing or by any other person duly authorized by any of them" shall be substituted.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है